*"25 (1) The Academic Council shall be the Academic body of the University consisting of the following members;

(i) Kulapati;

(ii) Rector;

(iii) Commissioner, HigherEducation, Chhattisgarh or his nominee not below the rank of regional Additional Director Higher Education;

(iv) Chairman, Chhattisgarh Board of Secondary Education;

(v) Dean of all Faculties.

(v-a) Dean or Director as the case may be of the college Development Council;

(vi) Chairman of Boards of Studies;

(vii) Heads of the Departments of the University;

(viii) Five Principal of colleges affiliated to the University among whom as far as possible at least two shall be lady principals nominated by the Kulapati;

(ix) Two Professors of the affiliated colleges of the University, nominated by the Kulapati;

(x) Three persons from Readers and Lecturers of theUniversity and Assistant Professors of the Colleges among whom at least two shall be ladies nominated by the Kulapati.

(2) Twelve members of the Academic Council shall form the quorum;

Provided that no quorum shall be necessary for adjourned meeting.

(3) The Academic Council shall have the power to co-opt, as members, two persons having special knowledge or experience in the subject matter of any particular business which may come before the Council for consideration. The members so co-opted shall have all the rights of the members of the Council in regard

*The Madhya Pradesh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1991 No

to the transaction of the business in relation to which they may be co-opted.

(4) All the members of the Academic Council other than ex-officio members and members referred into in sub-section(3) shall hold office for a term of three years.

Powers and duties of Academic Council

26. (1) The Academic Council shall in addition to all other powers vested in it by this Act, the Statutes and the Ordinances, have the following power and perform the following duties, namely;

(i) to exercise general supervision over the academic policies of the University and to give directions regarding methods of instruction, co-operative teaching among colleges and institution maintained by or admitted to the privileges of the University, evaluation of research or improvements in academic standards;

(ii) to consider matters of general academic interest either on its own initiative or on a reference by a faculty or the Executive Council and the take appropriate action thereon;

(iii) to make proposals for allocating departments to the Faculties and to assign Fellows and its own members to the Faculties;

(iv) to make proposals for the institution of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes and to make rule for their award;

(v) To consider the application for admission of an educational instituion to the privileges of the University;

Provided that no such application shall be considered unless it is accompanied by a certificatefrom the Commissioner Higher Education to the effect that the establishment of the institution or the expansion of the faculties sought by the institution has been permitted by him.

(vi) to prescribe qualifications for recognition of persons as teachers of the University and to accord such recognition;

(vii) to make arrangement for the conduct of examinations and

1991).

(तैंतालीस) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जैसे कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाये या उस पर अधिरोपित किये जायें;

(चवालीस) विश्वविद्यालय की ऐसी समस्त शक्तियों का, जो इस अधिनियम या परिनियमों में अन्यथा उपबंधित न की गई हों, तता ऐसी समस्त शक्तियों का, जो इस अधिनियम या परिनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित हों, प्रयोग करना,

(पैंतालीस) अपनी कोई भी शक्तियाँ विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को या उसके (कार्य परिषद् के) द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति को, जिसे कि वह उचित समझे, विनिमयों द्वारा प्रत्यायोजित करना।

[1]["**24-क. वित्त समिति और उसके कृत्य-** (1) कुलाधिपति, प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त समिति गठित करेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्-

[1][(एक) विश्वविद्यालय का कुलपति ..... अध्यक्ष;

(एक-क) विश्वविद्यालय का कुल सचिव ..... सदस्य सचिव"]

(दो) विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी;

[1]["(तीन) आयुक्त, उच्च शिक्षा या उसका नाम निर्देशिती जो संयुक्त संचालक के पद से निम्न पद का न हो;"]

(चार) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग या उसका नाम निर्देशिती जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो;

(पाँच) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग या उसका नाम निर्देशिती जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो।

(2) वित्त समिति, विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था को नियंत्रित ..

(3) इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाये गये परिनियमा, अद्यादेशों और विनियमों के अध्यधीन रहते हुए, वित्त समिति निम्नानुसार शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगी:

(क) विश्वविद्यालय के आय और व्यय का पुनर्विलोकन करना;

[1][(ख) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के पूर्व तैयार करना और कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदन के लिए रखना और उसमें संशोधन के लिये समय-समय पर सलाह देना;]

(ग) विश्वविद्यालय के आय और व्यय के संबंध में प्रस्तावों को मंजूर करना और विनिश्चय करना;

(घ) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वार्षिक संपरीक्षा को समय पर पूरा करवाना और रिपोर्ट के प्रकाश में समुचित निर्देश देना।"]

[1]["(4) तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी जिनमें कुलपति की तथा उपधारा (1) के उपखंड (चार) या (पांच) में से एक सदस्य की उपस्थिति आवश्यक होगी"]

25. विद्या-परिषद् :- (1) विद्या-परिषद् विश्वविद्यालय की विद्या सम्बन्धी निकाय होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे-

(एक) कुलपति;

(दो) कुलाधि सचिव;

---

1. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 की धारा 11 द्वारा 24-क अन्तःस्थापित की गई।
1. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, क्र. 19 सन् 1994 द्वारा स्थापित।

[1][(तीन) आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश या उसका नामनिर्देशिती जो क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा से निम्न पद का न हो]

(चार) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल;

(पाँच) सभी संकायों के संकायाध्यक्ष;

[1]['' (पाँच-क) महाविद्यालय विकास परिषद् का यथास्थिति संकायाध्यक्ष या संचालक,'']

(छः) अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;

(सात) विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष;

(आठ) विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के पांच प्राचार्य, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट हों, जिनमें यथासंभव कम से कम दो महिला प्राचार्य होंगी;

(नौ) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के दो आचार्य जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट हों;

(दस) विश्वविद्यालय के आचार्यों तथा प्राध्यापकों और महाविद्यालयों के सहायक आचार्यों में से तीन व्यक्ति, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट हों, जिनमें कम से कम दो महिलाएँ होंगी।

[(2) विद्या-परिषद् के बारह सदस्यों से गणपूर्ति होगी :

परन्तु स्थगित सम्मिलन के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।'']

(3) विद्या-परिषद् को किसी ऐसे विशिष्ट कामकाज की, जो कि परिषद् के समक्ष विचार्थ आवे, विषय-वस्तु का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सहयोजित करने की शक्ति होगी। इस प्रकार सहयोजित किये गये सदस्यों को, ऐसे कामकाज के, जिसके कि संबंध में वे सहयोजित किये जायें सम्पादन के बारे में परिषद् के समस्त अधिकार होंगे।]

(4) विद्या-परिषद् के सभी सदस्य, जो पदेन सदस्यों से तथा उपधारा (3) में निर्दिष्ट किये गये सदस्यों से भिन्न हों, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

26. विद्यापरिषद् की शक्तियाँ तथा कर्तव्य- (1) विद्या-परिषद् को इस अदिनियम, परिनियमों तथा अद्यादेशों द्वारा उसमें निहित समस्त अन्य शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी तता वह निम्नलिखित कर्तव्यों को पालन करेंगी, अर्थात्-

(एक) विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण रखना तता शिक्षण के तरीकों के संबंध में, ऐसे महाविद्यालयों तथा ऐसी संस्थाओं में जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता हो या जिन्हें, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों, सहकारी अध्यापन के सम्बन्ध में गवेषणा के मूल्याकंन के संबंध में या विद्या संबंधी स्तर विषयक सुधारों के संबंध में निदेश देना;

(दो) या तो स्वप्रेरणा पर या संकाय कार्य परषिद् द्वारा किये गये निर्देश पर विद्या संबंधी सामान्य हित के विषयों के संबंध में विचार करना और उन पर समुचित कार्यवाही करना;

(तीन) संकायों को विभाग आवंटित करने के लिए प्रस्थापना करना और अधिसदस्यों (फेलोज) को तथा उसके अपने सदस्यों को संकायों के लिए नियत करना;

(चार) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययन-वृत्तियों, पदकों तथा परितोषकों को संस्थित करने के लिए प्रस्थापना करना और उनके प्रदान के लिए नियम बनाना;

(पाँच) किसी शिक्षण संस्था को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये जाने संबंधी आवेदन पर विचार करना :

---

1. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, क्र. 19 सन् 1994 द्वारा स्थापित।

विद्यापरिषद के सम्मानीय सदस्यों की सूची

	नाम	पदनाम	अधिसूचना जारी होने की दिनांक	अधिसूचना जारी होने के तीन वर्ष तक	फोन/मोबाईल न.
25(1)(i) The Kulapati					
1	प्रो.एन.डी.आर.चन्द्र कुलपति बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर			पद में रहने तक	9425590001 07782-229239 07782-229626 07782-229256
25(1)(ii) The Rector					
	निरंक	-	-	-	-
25(1)(iii) Commissioner, Higher Education, Chhattisgarh or his nominne not below the rank of regional additional Director Higher Education.					
25(1)(iv) Chairman, Chhattisgarh Board of Secondary Education					
25(1)(v) Deans of all Faculties					
1	डॉ.श्रीमती रश्मि शुक्ला प्राध्यापक, शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर	डीन गृह विज्ञान संकाय	27.03.2014	27.03.2017	94525-61383
2	डॉ. सी.आर. पटेल, प्राध्यापक शासकीय बापूराव महा. सुकमा	डीन, सामाजिक विज्ञान संकाय	27.03.2014	27.03.2017	94062-87711 998176 5005
3	श्री आई.पी. तिवारी, प्राचार्य, श्री वेदमाता शिक्षा महा. जगदलपुर	डीन, शिक्षा संकाय	27.03.2014	27.03.2017	94242-72894
4	डॉ. एम.एल. लखनपाल प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर	डीन, विज्ञान संकाय	27.03.2014	27.03.2017	94242-79965
5	डॉ. आर.के. हिरकने, प्राचार्य, शासकीय भानुप्रतापदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर	डीन, वाणिज्य संकाय	27.03.2014	27.03.2017	94242-73798

6	डॉ.जी.पी.खरे, प्राचार्य, शास. अभियांत्रिक महा. जगदलपुर	डीन, ग्रामीण प्रौद्यौगिकी संकाय	27.03.2014	27.03.2017	94242-83091
7,	डॉ.श्रीमती रश्मि शुक्ला प्राध्यापक, शास. दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर	डीन जीव विज्ञान संकाय	10.03.2014	10.03.2017	94525-61383
8.	डॉ. एम.एल. लखनपाल प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर	डीन, विधि संकाय	10.03.2014	10.03.2017	94525-61383
9.	श्री आई.पी. तिवारी, प्रार्चार्य, श्री वेदमाता शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर	डीन, कला संकाय	10.03.2014	10.03.2017	94242-72894
	25(1)(v-a) Dean or Director as the case may be of the College Development Council				
	25(1)(vi) Chairman of Boards of Studies				
1	डॉ. श्रीमती के. इन्दिरा, प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर	अध्यक्ष रसायन शास्त्र	03.12.2012	03.12.2015	99266-84651
2	श्री'अभितांशु शेखर झा, सहा. प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर	अध्यक्ष भू–गर्भशास्त्र शास्त्र	03.12.2012	03.12.2015	98266-62022
3	श्री मनोहर बोकाडे, सह. प्राध्यापक शासकीय महर्षि वाल्मीकी महा. भानुप्रतापपुर	अध्यक्ष गणित	03.12.2012	03.12.2015	94060-83836
4	डॉ.एच.के.एस.गजेन्द्र, सह. प्राध्यापक शासकीय अरविन्द महाविद्यालय, किरन्दुल	अध्यक्ष प्राणी विज्ञान	03.12.2012	03.12.2015	94255-94877

5	सुश्री आर. कुलदीप, सहा प्राध्यापक शा. भानुप्रतापदेव पी.जी. महा., कांकेर	अध्यक्ष वनस्पति शास्त्र	03.12.2012	03.12.2015	94255-93305
6	डॉ.' एम.एल. वर्मा सहा प्राध्यापक शा. दु.ब.महिला महा. रायपुर	अध्यक्ष भौतिक शास्त्र	03.12.2012	03.12.2015	-
7	डॉ. आर.के. हिरकने, प्राध्यापक शा. भानुप्रतापदेव पी.जी. महा., कांकेर.	अध्यक्ष वाणिज्य	03.12.2012	03.12.2015	94242-73798
8	डॉ. स्वप्न कुमार कोले सह. प्राध्यापक बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर	अध्यक्ष मानव विज्ञान एंव जनजातिय	03.12.2012	03.12.2015	98264-97122
9	डॉ., सी.आर. पटेल, प्राध्यापक शासकीय नवीन महाविद्यालय सुकमा	अध्यक्ष इतिहास	03.12.2012	03.12.2015	94062-87711
10	श्री. एम. अली, सह. प्रा.ध्यापक शा. काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष समाज शास्त्र	03.12.2012	03.12.2015	94242-97450
11	डॉ.श्रीमती एस. आतराम, प्राध्यापक शा. भानुप्रतापदेव स्नात. महा., कांकेर	अध्यक्ष राजनीति शास्त्र	03.12.2012	03.12.2015	98263-69585
12	डॉ. डी.पी. कुर्रे, प्राध्यापक शास.दन्तेश्वरी पी.जी. महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा	अध्यक्ष अर्थशास्त्र	03.12.2012	03.12.2015	94076-17760
13	डॉ. प्रीति तिवारी, प्राध्यापक शासकीय विज्ञान महा. रायपुर	अध्यक्ष जैव प्रौद्योगिकी	03.12.2012	03.12.2015	94242-25624
14	डॉ. प्रवीण देवांगन सह प्राध्यापक शासकीय विज्ञान महा. रायपुर	अध्यक्ष संगणक	03.12.2012	03.12.2015	98261-98706

15	डॉ. एस.आर. बंजारे सह प्राध्यापक शास भानुप्रतापदेव स्नात. महाविद्यालय, कांकेर	अध्यक्ष हिन्दी	03.12.2012	03.12.2015	94252-59879
16	सुश्री टी. अख्तर सहायक प्राध्यापक, शास. काकतीय स्नात. महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष अंग्रेजी	03.12.2012	03.12.2015	95845-48769
17	डॉ. अनिल मिश्रा सहायक प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष भूगोल	03.12.2012	03.12.2015	94255-82487
18	कु. पदमा अग्रवाल सहायक प्राध्यापक, मनसा महाविद्यालय, कुरूद	अध्यक्ष शिक्षा	03.12.2012	03.12.2015	94076-10917 99817-10268
19	डॉ. सत्येन्द्र शर्मा सहायक प्राध्यापक, शासकीय दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर	अध्यक्ष संस्कृत	03.12.2012	03.12.2015	94255-19996
20	श्री एस.पी. तिवारी सहायक प्राध्यापक, शास. दंतेशवरी महिला महाविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास	03.12.2012	03.12.2015	94242-83064
21	डॉ. ए. जोगलेकर सहा. प्राध्यापक शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय रायपुर	अध्यक्ष गृह विज्ञान	03.12.2012	03.12.2015	94252-03225
22	डॉ. आर.पी. दास विभागाध्यक्ष पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	अध्यक्ष प्रबंधन संकाय	03.12.2012	03.12.2015	
23	डॉ.श्रीमती बी.एम. लाल सहा. प्राध्यापक शास. दु.ब.महिला महा. रायपुर	अध्यक्ष सूक्ष्मजीव विज्ञान	03.12.2012	03.12.2015	

24	डॉ. शरद नेमा सह. प्राध्यापक बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर	अध्यक्ष वानिकी एवं वन्यजीव	02.07.2013	02.07.2016	93007-90982
25	डॉ. राजेन्द्र मेहता सह प्राध्यापक गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर	अध्यक्ष ग्रामीण प्रौद्योगिकी	03.12.2012	03.12.2015	94253-76299
26	डॉ. डी.डी.प्रुष्टि प्राध्यापक शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर	अध्यक्ष विधि	07.12.2013	07.12.2016	94061-06998

25(1)(vii) Heads of the Departments of the University

1	डॉ. शरद नेमा, सह. प्राध्यापक, वानिकी एवं वन्यजीव अध्ययनशाला ब.वि.वि. जगदलपुर				93007-90982
2	डॉ. स्वप्न कुमार कोले, सह. प्राध्यापक, मानव विज्ञान एंव जन. अध्ययनशाला ब.वि.वि. जगदलपुर				98264-97122
3	डॉ.विनोद सोनी प्रभारी विभागाध्यक्ष, संगणक बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर				94255-64971

25(1)(viii) Five Principals of colleges affiliated to the University among whom as for as possible at least two shall be lady Principal nominated by the Kulpati.

1	डॉ. डी.एन. मेहर प्राचार्य, शास. काकतीय स्नात. महाविद्यालय जगदलपुर				94242-15152
2	डॉ.ए.के.पाण्डेय प्राचार्य, शासकीय वीर गैंदसिंह महाविद्यालय पखांजूर				94791-11373
3	श्री लक्ष्मण शुक्ला प्राचार्य, स्व.भावसिंह कला/विज्ञान महाविद्यालय. नरहरपुर				94242-88230

	डॉ.व्ही.विजयलक्ष्मी प्राचार्य, शास. दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर				98264-84804
5	डॉ. रश्मि सिंह प्राचार्य, शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय कांकेर				94064-33321
25(1)(ix) Two Professors of the affiliated colleges of the University, nominated by the Kulapati					
1	डॉ.टी.आर.रात्रे प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नात. महाविद्यालय जगदलपुर				94060-70578
2	Will be nominated at Later stage				
25(1)(x) Three persons from Readers and Lectures of the University and Assistant Professors of the Colleges among whom at least two shall be ladies nominated by the Kulapati.					
1.	Will be nominated at Later stage (Reader)				
2.	डॉ. आनंदमूर्ति मिश्रा अध्ययनशाला बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर				94077-69357
3.	डॉ.आयशा कुरैशी शासकीय गेंदसिंह महा. चारामा				94242-73790

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

(1)

क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक.20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (V) के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ. (श्रीमती) रश्मि शुक्ला, **संकायाध्यक्ष गृह विज्ञान संकाय/जीव विज्ञान संकाय** को विद्या परिषद में संकायाध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 **जगदलपुर दिनांक**20/06/2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ. (श्रीमती) रश्मि शुक्ला, प्राध्यापक, शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

(2)

क्रमांक /26 /ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (V) के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ.सी.आर.पटेल, **संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय** को विद्या परिषद में संकायाध्यक्ष –सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक /37 /ब.वि.वि./2014
जगदलपुर दिनांक 20/06/2014

प्रतिलिपि:–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.सी.आर.पटेल, प्राध्यापक शासकीय बापूराव महाविद्यालय सुकमा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

(3)

क्रमांक/36 /ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (V) के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत श्री आई.पी.तिवारी, **संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय/कला संकाय** को विद्या परिषद में संकायाध्यक्ष –सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर
जगदलपुर दिनांक 20/06/2014

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014
प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. श्री आई.पी.तिवारी, प्राचार्य, श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय कंगोली की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

(4)

क्रमांक /36 / ब.वि.वि. / 2014 जगदलपुर दिनॉक 30 / 06 / 2014

/ / अधिसूचना / /

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (V) के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ. एम.एल.लखनपाल **संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय / विधि संकाय** को विद्या परिषद में संकायाध्यक्ष –सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक /37 / ब.वि.वि. / 2014 **जगदलपुर दिनांक** 30/06/ 2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.एम.एल.लखनपाल, प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005

दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

(5)

क्रमांक 136 /ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 28/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (V) के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ.आर.के.हिरकने, **संकायाध्यक्ष वाणिज्य संकाय** को विद्या परिषद में संकायाध्यक्ष –सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक 137 /ब.वि.वि./2014 **जगदलपुर दिनांक** 28/06/2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.आर.के.हिरकने, प्राचार्य, शासकीय भानु.स्नात.महाविद्यालय कांकेर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

ok

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

(6)

क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (V) के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ.जी.पी.खरे, **संकायाध्यक्ष ग्रामीण प्रौद्यौगिकी संकाय** को विद्या परिषद में संकायाध्यक्ष –सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 **जगदलपुर दिनांक 20/06/2014**

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.जी.पी.खरे, प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

(7)

क्रमांक /36 / ब.वि.वि. / 2014 जगदलपुर दिनॉक 20.06 / 2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ.(श्रीमती) के.इन्दिरा, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (रसायन शास्त्र) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक /37 / ब.वि.वि. / 2014 जगदलपुर दिनांक 20/06/ 2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.(श्रीमती) के.इन्दिरा प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर को सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

(8)

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005

दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

(8)

क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत श्री अमितांशु शेखर झा, अध्यक्ष, (भू–गर्भ शास्त्र) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014
जगदलपुर दिनांक 20/06/2014

प्रतिलिपि:–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. श्री अमितांशु शेखर झा, सहा.प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

Ole

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005

दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

(9)

क्रमांक 36 / ब.वि.वि. / 2014 जगदलपुर दिनॉक 20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत श्री मनोहर बोकाडो, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (गणित) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक 37 / ब.वि.वि. / 2014 **जगदलपुर दिनांक 20/06/2014**

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. श्री मनोहर बोकाडो, सहा.प्राध्यापक, शासकीय महर्षि वाल्मीकी महाविद्यालय भानुप्रतापपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

10

क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ.एच.के.एस.गजेन्द्र अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (प्राणी विज्ञान) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनांक20/06/2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.एच.के.एस.गजेन्द्र, प्राचार्य, शासकीय अरविन्द महाविद्यालय किरन्दुल की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

11

क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत सुश्री आर.कुलदीप अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (वनस्पति शास्त्र) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनांक 20/06/2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. सुश्री आर.कुलदीप, सह.प्राध्यापक, शासकीय भानु.स्नात.पी.जी.महाविद्यालय कांकेर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

Ole

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

12

क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 20/05/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ.एम.एल.वर्मा, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (भौतिक शास्त्र) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 **जगदलपुर दिनांक 20/05/2014**

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.एम.एल.वर्मा, सहा.प्राध्यापक, शासकीय दु.ब.महिला महाविद्यालय रायपुर को ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

13

क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक.20.06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ.आर.के.हिरकने, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (वाणिज्य) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 **जगदलपुर दिनांक 20/06/2014**

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.आर.के.हिरकने, प्राचार्य, शास.भानु.स्नात.महाविद्यालय कांकेर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

14

क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 20/05/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ.स्वपन कुमार कोले, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (मानव विज्ञान) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनांक 20/05/2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.स्वपन कुमार कोले, सह.प्राध्यापक, अध्ययनशाला बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

Ole

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

15

क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनाँक 20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ.सी.आर.पटेल, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (इतिहास) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 **जगदलपुर दिनांक 20/06/2014**

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.सी.आर.पटेल, प्राध्यापक, शासकीय बापूराव महाविद्यालय सुकमा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

16

क्रमांक 36 /ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 20/10/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत श्री एम.अली, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (समाज शास्त्र) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक /37/ब.वि.वि./2014 **जगदलपुर दिनांक** 20/10/2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. श्री एम.अली, सह.प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नात.महाविद्यालय जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005

दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

17

क्रमांक /36 /ब.वि.वि. / 2014 जगदलपुर दिनॉक 20.06 / 2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ.(श्रीमती) एस.आतराम अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (राजनीति शास्त्र) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक /37 /ब.वि.वि. / 2014 जगदलपुर दिनांक 20/06/2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.(श्रीमती) एस.आतराम, प्राध्यापक, शासकीय भानु.स्नात.महाविद्यालय कांकेर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

Ole

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

19

क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ. डी.पी.कुर्रे, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (अर्थशास्त्र) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनांक 20/06/2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.डीपी.कुर्रे, प्राध्यापक, शासकीय दन्तेश्वरी पी.जी.महाविद्यालय दंतेवाडा की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

19

क्रमांक /36 / ब.वि.वि. / 2014 जगदलपुर दिनॉक 20./06/ 2014

/ / अधिसूचना / /

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ.प्रीति तिवारी, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (जैव प्रौद्यौगिकी) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक /37 / ब.वि.वि. / 2014 जगदलपुर दिनांक 20/06/ 2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.प्रीति तिवारी, प्राध्यापक, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

20

क्रमांक /316 /ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ.प्रवीण देवागंन, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (संगणक) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक /317 /ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनांक 20/06/2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.प्रवीण देवांगन सह.प्राध्यापक शासकीय विज्ञान महा. रायपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

Ok

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005

दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

21

क्रमांक /36 / ब.वि.वि. / 2014 जगदलपुर दिनॉक 20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ.एस.आर.बंजारे, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (हिन्दी) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक 37 / ब.वि.वि. / 2014 जगदलपुर दिनांक 20/06/2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.एस.आर.बंजारे, सह.प्राध्यापक, शास0भानु0स्नात0महाविद्यालय कांकेर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005

दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

22

क्रमांक /36 / ब.वि.वि. / 2014 जगदलपुर दिनॉक.....20/06/ 2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत सुश्री टी.अख्तर, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (अंग्रेजी) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक /37 / ब.वि.वि. / 2014 **जगदलपुर दिनांक 20/06/ 2014**

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. सुश्री टी.अख्तर, सहा.प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नात.महाविद्यालय जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

(23)

क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक.20.06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ.अनिल मिश्रा, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (भूगोल) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनांक20/06/2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.अनिल मिश्रा, सहा.प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नात.महाविद्यालय जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

AC

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

(24)

क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत कु.पदमा अग्रवाल, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (शिक्षा) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 **जगदलपुर दिनांक 20/06/2014**

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. कु. पदमा अग्रवाल, सहा.प्राध्यापक, मनसा महाविद्यालय कुरूद की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005

दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

(25)

क्रमांक /36 / ब.वि.वि. / 2014 जगदलपुर दिनॉक 25/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ.सत्येन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (संस्कृत) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक /37/ ब.वि.वि. / 2014 जगदलपुर दिनांक 25/06/2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.सत्येन्द्र शर्मा, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दू0ब0महिला महाविद्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

(26)

क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत श्री एस.पी.तिवारी, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (प्राचीन भारतीय इतिहास) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनांक 20/06/2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. श्री एस.पी.तिवारी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दंतेश्वरी महिला महा. जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

cde

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

(27)

क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगर्त डॉ.ए.जोगलेकर, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (गृह विज्ञान) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 **जगदलपुर दिनांक 20/06/2014**

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.ए.जोगलेकर, सहा.प्राध्यापक शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

(28)

क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ.आर.पी.दास, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (प्रबंधन) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 **जगदलपुर दिनांक 20/06/2014**

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.आर.पी.दास, विभागाध्यक्ष, पं0रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

29

क्रमांक/ /ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक...../ /2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ.(श्रीमती) बी.एम.लाल, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (सूक्ष्मजीव विज्ञान) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर
जगदलपुर दिनांक 20/06/2014

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.श्रीमती बी.एम.लाल सहा.प्राध्यापक, शास.दू.ब.महिला महाविद्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर
जगदलपुर दिनांक 20/06/2014

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

30

क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक...20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ.शरद नेमा, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (वानिकी एंव वन्यजीव) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनांक20/06/2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.शरद नेमा, सह.प्राध्यापक, अध्ययनशाला बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

31

क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक....20./06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ.राजेन्द्र मेहता, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (ग्रामीण प्रौद्यौगिकी) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 **जगदलपुर दिनांक20/06/2014**

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.राजेन्द्र मेहता सह.प्राध्यापक, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

32

क्रमांक/ /ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक...../ /2014

// अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत डॉ.डी.डी.प्रुष्टि, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, (विधि) को विद्या परिषद में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनांक 29/07/2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.डी.डी.प्रुष्टि, प्राध्यापक, शासकीय छ.ग. महाविद्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005

दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

33

क्रमांक/36 /ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vii) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत, डॉ.शरद नेमा, सह प्राध्यापक, वानिकी एंव वन्यजीव अध्ययनशाला, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर को विद्या परिषद में सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनांक 20/06/2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.शरद नेमा, सह.प्राध्यापक, अध्ययनशाला बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

34

क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vii) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत, डॉ. स्वपन कुमार कोले, सह. प्राध्यापक, मानव विज्ञान एंव जनजातिय अध्ययनशाला, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर को विद्या परिषद में सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनांक 20/06/2014
प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.स्वपन कुमार कोले,सह.प्राध्यापक, अध्ययनशाला बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

35

क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 20.06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (vii) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत, डॉ. विनोद सोनी सह. प्राध्यापक, वानिकी एंव वन्यजीव अध्ययनशाला को विद्या परिषद में सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनांक 20/06/2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.विनोद सोनी, सह.प्राध्यापक, अध्ययनशाला बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

(36)

क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक....20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (viii) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत, डॉ.डी.एन.मेहर, प्राचार्य, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर को विद्या परिषद में प्राचार्य सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 **जगदलपुर दिनांक 20/06/2014**

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.डी.एन.मेहर, प्राचार्य,शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

37

क्रमांक /37 / ब.वि.वि. / 2014 जगदलपुर दिनॉक 20/06/2014

/ / अधिसूचना / /

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (viii) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत, डॉ.ए.के.पाण्डेय, प्राचार्य, शासकीय वीर गैंदसिंह महाविद्यालय पंखाजूर को विद्या परिषद में प्राचार्य सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक /37 / ब.वि.वि. / 2014 जगदलपुर दिनांक 20/06/2014
प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.ए.के.पाण्डेय, प्राचार्य, शासकीय वीर गैंदसिंह महाविद्यालय पंखाजूर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

(38)

क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक...20.../06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (viii) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत, श्री लक्ष्मण शुक्ला, प्राचार्य, स्व.ठाकुर भावसिंह कला/विज्ञान महाविद्यालय नरहरपुर को विद्या परिषद में प्राचार्य सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर
जगदलपुर दिनांक 20/06/2014

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014
प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. श्री लक्ष्मण शुक्ला, प्राचार्य, स्व.ठाकुर भावसिंह कला/विज्ञान महाविद्यालय नरहरपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

(39)

क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (viii) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत, डॉ.व्ही.विजयलक्ष्मी, प्राचार्य, शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर को विद्या परिषद में प्राचार्य सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014
जगदलपुर दिनांक 20/06/2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.व्ही.विजयलक्ष्मी, प्राचार्य, शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

40

क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (viii) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत, डॉ.रश्मि सिंह, प्राचार्य, शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय कांकेर को विद्या परिषद में प्राचार्य सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014
जगदलपुर दिनांक 20/06/2014

प्रतिलिपि:–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.रश्मि सिंह, प्राचार्य, शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय कांकेर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

ole

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

41

क्रमांक/36/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक.....20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (ix) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत, डॉ.टी.आर.रात्रे, प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर को विद्या परिषद में प्राध्यापक सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक/37/ब.वि.वि./2014
जगदलपुर दिनांक ..../..../2014

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.टी.आर.रात्रे, प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

42

क्रमांक /36 /ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 22/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (x) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत, डॉ.आनंदमूर्ति मिश्रा, सहा. प्राध्यापक, मानव विज्ञान एंव जन. अध्ययनशाला बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर को विद्या परिषद में सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक /37 /ब.वि.वि./2014 **जगदलपुर दिनांक 22/06/2014**

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.आनंदमूर्ति मिश्रा, सहा.प्राध्यापक, मानव विज्ञान एंव जन. अध्ययनशाला बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

ok

बस्तर विश्वविद्यालय,

जगदलपुर, (धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494005
दूरभाष–07782–229630 फैक्स 229037

43

क्रमांक 136 /ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनॉक 20/06/2014

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 25(1) की उपधारा (x) के प्रावधानों के अनुसार विद्या परिषद के अंर्तगत, डॉ.आयशा कुरैशी, सहा. प्राध्यापक, शासकीय गेंदसिंह महाविद्यालय चारामा को विद्या परिषद में सदस्य नियुक्त किया जाता है।

विद्या परिषद की अवधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

पृ.क्रमांक /137/ब.वि.वि./2014 जगदलपुर दिनांक 20/06/2014
प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर।
4. डॉ.आयशा कुरैशी, सहा.प्राध्यापक, शासकीय गेंदसिंह महाविद्यालय चारामा की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494001
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 94 /अका./ब.वि.वि./2017 जगदलपुर, दिनांक 7/02/2018

//अधिसूचना//

एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 25(1)(x) के प्रावधानानुसार विद्यापरिषद के सदस्य निम्नानुसार नियुक्त किया जाता है :–

1. श्री एम.अली, सहायक प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर।
2. डॉ. शिखा सरकार, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा।
3. डॉ. सुकृता तिर्की, सहायक प्राध्यापक, मानवविज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर।

उक्त सदस्यता इस अधिसूचना प्रसारण तिथि से तीन वर्ष के लिए की जाती है।

कुलसचिव 7/2/18
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 95 /अका./ब.वि.वि./2017 जगदलपुर, दिनांक 7/02/2018

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अपर मुख्यसचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपर्युक्त विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. मान. कुलपति महो. के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव (अका.)
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494001
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 92 /अका./ब.वि.वि./2017 जगदलपुर, दिनांक 7 /02/2018

//अधिसूचना//

एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 25(1)(ix) के प्रावधानानुसार दो प्राध्यापक को विद्यापरिषद में प्राध्यापक सदस्य निम्नानुसार नियुक्त किया जाता है :–

1. डॉ. आर.के. हिरकने, प्राध्यापक, शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा।
2. डॉ. जी.एस. सलूजा, प्राध्यापक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर।

उक्त सदस्यता इस अधिसूचना प्रसारण तिथि से तीन वर्ष या अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) के लिए की जाती है।

7/2/18
कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 93 /अका./ब.वि.वि./2017 जगदलपुर, दिनांक 7 /02/2018

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अपर मुख्यसचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपर्युक्त विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. मान. कुलपति महो. के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव (अका.)
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494001
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 90 /अका./ब.वि.वि./2017 जगदलपुर, दिनांक 7/02/2018

//अधिसूचना//

एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 25(1)(viii) के प्रावधानानुसार पांच प्राचार्यों को विद्यापरिषद में प्राचार्य सदस्य निम्नानुसार नियुक्त किया जाता है :–

1. डॉ. कोमल सिंह शार्वा, प्राचार्य, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर।
2. डॉ. रश्मि सिंह, प्राचार्य, शासकीय इंदरू केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर।
3. डॉ. व्ही विजयलक्ष्मी मूर्ति, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय, बकावंड।
4. श्री ईश्वर प्रसाद तिवारी, प्राचार्य, श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, कंगोली, जगदलपुर।
5. डॉ. सरला आत्राम, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सरोना।

उक्त सदस्यता इस अधिसूचना प्रसारण तिथि से तीन वर्ष या अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) के लिए की जाती है।

7/2/2018
कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 91 /अका./ब.वि.वि./2017 जगदलपुर, दिनांक 7/02/2018

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अपर मुख्यसचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपर्युक्त विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. मान. कुलपति महो. के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव (अका.)
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494001
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 88 /अका./ब.वि.वि./2017 जगदलपुर, दिनांक 7/02/2018

//अधिसूचना//

एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 25(1)(vii) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष को विद्यापरिषद में विभागाध्यक्ष सदस्य निम्नानुसार नियुक्त किया जाता है :–

1. डॉ. शरद नेमा (सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष – वानिकी एवं वन्यजीव एवं बायोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाला) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर।
2. डॉ. स्वपन कुमार कोले (सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष – मानवविज्ञान एवं जनजातीय तथा बी.एड. अध्ययनशाला) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर।
3. डॉ. आनंदमूर्ति मिश्रा (सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष –एम.ए. अंग्रेजी अध्ययनशाला) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर।
4. डॉ. विनोद कुमार सोनी (सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष –समाजकार्य अध्ययनशाला) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर।
5. डॉ. संजीवन कुमार (सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष –मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर।
6. डॉ. सुकृता तिर्की (सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष –एम.ए. राजनीतिविज्ञान अध्ययनशाला) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर।

उक्त सदस्यता इस अधिसूचना प्रसारण तिथि से तीन वर्ष या विभागाध्यक्ष के लिए प्रसारित आदेश दिनांक से तीन वर्ष कार्यवधि (जो भी पहले हो) के लिए की जाती है।

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 89 /अका./ब.वि.वि./2017 जगदलपुर, दिनांक 7/02/2018

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अपर मुख्यसचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपर्युक्त विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. मान. कुलपति महो. के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव (अका.)
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494001
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 84 /अका./ब.वि.वि./2017 जगदलपुर, दिनांक 7/02/2018

//अधिसूचना//

एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 25(1)(V) के प्रावधानानुसार सभी संकायों के संकायाध्यक्षों को विद्यापरिषद में निम्नानुसार संकायाध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाता है :–

1. डॉ. (श्रीमती) रश्मि शुक्ला, (प्राध्यापक एवं संकायाध्यक्ष – गृह विज्ञान संकाय) शासकीय दन्तेश्वरी कन्या महाविद्यालय, जगदलपुर।
2. डॉ. आर.के. हिरकने, (प्राध्यापक एवं संकायाध्यक्ष – वाणिज्य संकाय) शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा।
3. डॉ. ए.के. दीक्षित, (प्राध्यापक एवं संकायाध्यक्ष – सामाजिक विज्ञान संकाय) शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपटनम।
4. डॉ. के.इंदिरा, (प्राध्यापक एवं संकायाध्यक्ष – विज्ञान संकाय) शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर।
5. डॉ. कोमल सिंह शार्वा, (प्राचार्य एवं संकायाध्यक्ष – कला संकाय) भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर।
6. श्री ईश्वर प्रसाद तिवारी, (प्राचार्य एवं संकायाध्यक्ष – शिक्षा संकाय) श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर।

उक्त सदस्यता विश्वविद्यालय द्वारा संकायाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए प्रसारित अधिसूचना दिनांक में अंकित कार्यावधि या संस्था में पदस्थ तिथि तक या अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) के लिए की जाती है।

7/2/18
कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 85 /अका./ब.वि.वि./2017 जगदलपुर, दिनांक 7/02/2018

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अपर मुख्यसचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपर्युक्त विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. मान. कुलपति महो. के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव (अका.)
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494001
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 80 /अका./ब.वि.वि./2017 जगदलपुर, दिनांक 7/02/2018

//अधिसूचना//

एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 25(1)(iv) के प्रावधानानुसार अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल को विद्यापरिषद में सदस्य नियुक्त किया जाता है :–

उक्त सदस्यता इस अधिसूचना प्रसारण तिथि से तीन वर्ष के लिए की जाती है।

7/2/18
कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 81 /अका./ब.वि.वि./2017 जगदलपुर, दिनांक 7/02/2018

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अपर मुख्यसचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. मान. कुलपति महो. के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव (अका.)
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494001
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 86 /अका./ब.वि.वि./2017 जगदलपुर, दिनांक 7./02/2018

//अधिसूचना//

एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 25(1)(vi) के प्रावधानानुसार अध्ययन मंडल के अध्यक्षों को विद्यापरिषद में निम्नानुसार सदस्य नियुक्त किया जाता है :–

1. डॉ. शरद नेमा (सह प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – वानिकी एवं वन्यजीव अध्ययन मंडल) वानिकी एवं वन्यजीव अध्ययनशाला, ब.वि.वि.
2. डॉ. के. इन्दिरा मूर्ति (प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – रसायनशास्त्र अध्ययन मंडल) शास. काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर।
3. श्री रमेश चन्द्र जोशी (सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – भू–गर्भशास्त्र अध्ययन मंडल) शास. काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर।
4. श्री बी.एन. सिन्हा (सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – गणित अध्ययन मंडल) शास. काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर।
5. डॉ. एस.के. दत्ता (सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – प्राणीशास्त्र अध्ययन मंडल) शास. काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर।
6. श्री व्ही. के. श्रीवास्तव (सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – वनस्पतिशास्त्र अध्ययन मंडल) शास. काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर।
7. श्री अभिषेक बाजपेयी (सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – भौतिकशास्त्र अध्ययन मंडल) शास. काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर।
8. श्री माधवेन्द्र तिवारी (सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – विधि अध्ययन मंडल) भानुप्रतापदेव शास. स्नातको. महाविद्यालय, कांकेर।
9. श्री सुशील कुमार साहू (सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – संगणक अध्ययन मंडल) क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर।
10. डॉ. स्वपन कुमार कोले (सह प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – मानवविज्ञान अध्ययन मंडल) मानवविज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर।
11. डॉ. (श्रीमती) रश्मि शुक्ला (प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – गृहविज्ञान अध्ययन मंडल) शास. दन्तेश्वरी महिला महाविद्यालय, जगदलपुर।
12. श्रीमती जयश्री साहू (सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – सूक्ष्मजीव विज्ञान अध्ययन मंडल) शास. नवीन महाविद्यालय, केशकाल।
13. डॉ. आर.के. हिरकने (प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – वाणिज्य अध्ययन मंडल) भानुप्रतापदेव शास. स्नातको. महाविद्यालय, कांकेर।
14. डॉ. शिखा सरकार (सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – इतिहास अध्ययन मंडल) शास. दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा।
15. श्री के.पी. शुक्ला (सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – समाजशास्त्र अध्ययन मंडल) शास. अरविन्द महाविद्यालय, किरन्दुल।
16. डॉ. (श्रीमती) रानू मेश्राम (प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – राजनीतिविज्ञान अध्ययन मंडल) शास. काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर।

17. श्री एस.एन. चौधरी (सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – अर्थशास्त्र अध्ययन मंडल) शास. काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर।

18. डॉ. एस. आर. बंजारे (सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – हिन्दी अध्ययन मंडल) भानुप्रतापदेव शास. स्नातको. महाविद्यालय, कांकेर।

19. सुश्री तस्नीम अख्तर (सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – अंग्रेजी अध्ययन मंडल) शास. काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर।

20. डॉ. डी.एल. पटेल (सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – भूगोल अध्ययन मंडल) भानुप्रतापदेव शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर।

21. श्री सचिन द्विवेदी (सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – शिक्षा अध्ययन मंडल) श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, कंगोली, जगदलपुर।

22. श्री हंसराज रंहगडाले (सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – संस्कृत अध्ययन मंडल) शास. काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर।

23. श्री एस.पी. तिवारी (सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष – प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन मंडल) शास. दन्तेश्वरी महिला महाविद्यालय, जगदलपुर।

उक्त सदस्यता इस अधिसूचना प्रसारण तिथि से तीन वर्ष या विश्वविद्यालय द्वारा जारी अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के पद पर नियुक्ति के लिए प्रसारित अधिसूचना दिनांक से तीन वर्ष कार्यवधि या अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) के लिए की जाती है।

2/2/18
कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 87 /अका./ब.वि.वि./2017 जगदलपुर, दिनांक 7/02/2018

प्रतिलिपि :–

01. माननीय राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अपर मुख्यसचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. उपर्युक्त विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. मान. कुलपति महो. के निज सहायक, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव (अका.)
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)